बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुढ़ढीकरण योजना

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 यथा संशोधित 2016 के अनुसार किसी भी कार्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित है। सिर्फ वैसे मामलो में छूट प्रदान की गई है जिसमें कोइ बच्चा अपने परिवारिक कार्य से संबंधित व्यवसाय में संलग्न हो एवं उसकी पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित न हो। इसके अलावे 14 से 18 वर्ष के बाल श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों/कार्यो में कार्य करने से रोक लगाई गई है। बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत राज्य कार्य योजना में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य कार्य योजना के अनुसार बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों का विमुक्ति जारी है।

बाल श्रम पुनर्वास योजना के अन्तर्गत खतरनाक उद्योगों से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वरा एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बाल श्रमिक पुनर्वास–सह–कल्याण कोष में प्रति विमुक्त बाल श्रमिक रू0 20,000 जो नियोजक से वसूला जाता है तथा ₹ 5,000 जो सरकार द्वारा दिया जाता है कुल रकम 20,000+5,000=25,000 उक्त कोष में जमा किया जाता है। साथ ही बाल श्रम से विमुक्ति के समय विमुक्त कराये गये बाल श्रमिक एवं उसके परिवार को तत्काल मदद पहुँचाने के उद्देश्य से ₹ 3.000 उपलब्ध कराया जाता है जिससे उक्त बाल श्रमिक अपने लिए एक माह का भोजन, वस्त्र आवश्यकतानुसार दवा इत्यादि की व्यवस्था कर सके। सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाल श्रमिक पुनर्वास–सह–कल्याण कोष का गठन किया जा चुका है।

गत वर्ष 12 जून 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विमुक्त कराये जा रहे बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने के उद्देश्य से एक सॉफ्टवेयर सी0एल0टी0एस0 लॉच किया गया था तथा उनके द्वारा घोषणा की थी कि बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं सी0एल0टी0एस0 में दर्ज बाल श्रमिकों को अन्य योजनाओं के अतिरिक्त ₹ 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त आलोक में 01.01.2014 से विमुक्त बाल श्रमिकों को संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध/अधियाचना प्राप्त होने पर राशि उपलब्ध कराई जा रही है।